कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक- 20.06.2026

□थाना इलिया पुलिस टीम द्वारा 25000/-रुपए का इनामिया 01 वांछित गोतस्कर को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में थानाध्यक्ष इलिया, चन्दन कुमार राय के नेतृत्व में दिनांक-18.06.2026 को थाना इलिया पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 85/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में 25000 रुपए का वांछित इनामिया अभियुक्त 1.अब्दुल रहीम अंसारी पुत्र अब्दुल अजीज अंसारी निवासी 26 पवनपुरी कालोनी पालदा नाका थाना आजाद नगर जिला इन्दौर मध्य प्रदेश उम्र करीब 64 वर्ष को उसके मूल पता 26 पवनपुरी कालोनी पालदा नाका थाना आजाद नगर जिला इन्दौर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.अब्दुल रहीम अंसारी पुत्र अब्दुल अजीज अंसारी निवासी 26 पवनपुरी कालोनी पालदा नाका थाना आजाद नगर जिला इन्दौर मध्य प्रदेश उम्र करीब 64 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 85/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम

□'ऑपरेशन दहन' के तहत चन्दौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई 16 मुकदमों से संबंधित लगभग 313.637 किग्रा अवैध गांजा व 1.74 किग्रा अवैध हेरोइन (कुल-315.377 किग्रा) किया गया विनष्टीकरण।

□विनष्टीकरण किये गये अवैध माल की कीमत लगभग 05 करोड़ रुपये

चंदौली- *उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान "आपरेशन दहन" के के तहत माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों में पंजीकृत कुल 16 मुकदमों से संबंधित बरामद 313.637 किग्रा अवैध गांजा व 1.74 किग्रा अवैध हेरोइन (कुल-315.377 किग्रा) को नष्ट किया गया। विनष्टीकरण की यह प्रक्रिया पर्यावरण मानकों का ध्यान रखते हुए थाना मुगलसराय अंतर्गत चौकी औद्योगिक नगर स्थित गणेश प्लाई फैक्ट्री के एंसीलेटर (भट्ठी) में जलाकर पूर्ण की गई।